शैक्षिक मंथन संस्थान, जयपुर

82, पटेल कॉलोनी, गर्वमेन्ट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302001

सुझाव

नई शिक्षा नीति - 2015

महेन्द्र कपूर

सचिव

शैक्षिक मंथन संस्थान, जयपुर

मो. : 9868711893, 9414040403

ई-मेल : shaikshikmanthan@gmail.com, वेबसाईट : www.shaikshikmanthan.com

नई शिक्षा नीति-2015

नई शिक्षा नीति में सम्मिलित किये जाने हेतु महत्त्वपूर्ण बिन्दु-

सभी स्तरों पर सामान्य बिन्दु-

1. **समग्र दृष्टिकोण** -शिक्षा नीति समग्र हो, प्राथमिक, माध्यमिक व विश्वविद्यालय के लिये अलग-अलग शिक्षा नीति बनाने के स्थान पर समग्र शिक्षा जगत् के लिये समग्र शिक्षा नीति तैयार किये जाने की आवश्यकता है, तीनों स्तर सह सम्बन्धित हैं। जिसमें विद्यार्थी का व्यक्तित्व अन्त: प्रवाहित हो, उल्लेखनीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा एक दूसरे से अन्तर्संबंधित हैं अत: समग्र नीति बनाना समयानुकूल होगा।
2. **शिक्षा नीति विद्यार्थी केन्द्रित** - शिक्षा जगत् का केन्द्रीय बिन्दु विद्यार्थी है। शिक्षा नीति विषय केन्द्रित एवं शिक्षक केन्द्रित होने के स्थान पर विद्यार्थी केन्द्रित होनी चाहिये, जिसमें विद्यार्थी की प्रतिभा, उसके मनोविज्ञान व अन्तर्निहित विशिष्टताओं को पहचानने की समुचित व्यवस्था हो, साथ ही उसकी विशिष्टताओं के अनुरूप ही विषयाध्यापन एवं कौशल प्रशिक्षण का प्रावधान भी शिक्षा में समाविष्ट हो। इसके लिये विद्यार्थी को क्षेत्रीय, सामाजिक व पारिवारिक पर्यावरण को ध्यान में रखकर सुधारात्मक व विकासात्मक शिक्षण प्रदान करना चाहिये।
3. **शिक्षा का आधार** -

   (1) शिक्षा भारतीय दर्शन पर आधारित हो। शिक्षा आत्म-गौरव व राष्ट्र गौरव का भाव उत्पन्न करे, शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण हो, यह भौतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उन्नयन का माध्यम होनी चाहिये। शिक्षा नीति की जड़ें यहाँ की संस्कृति में हों व इस प्रकार के पाठ्यक्रम का उत्तम पद्धति से निर्माण होना चाहिये व उसके अध्यापन की समुचित व्यवस्था हो। वर्तमान में शिक्षा की औपचारिक पद्धति और देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परम्पराओं के बीच एक खाई है जिसे पाटा जाना आवश्यक है। परिवर्तनपरक तकनीक और सतत चली आ रही देश की सांस्कृतिक परम्परा में एक सुन्दर समन्वय की आवश्यकता है और यह शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है।

   (2) **स्वावलंबन शिक्षा का आधार बने**- शिक्षा नीति में इस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्माण को सम्मिलित किया जावे जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विद्यार्थियों को स्वावलंबन प्रदान करें, जिससे विद्यार्थी के निजी कौशल व आत्मविश्वास का विकास हो, वह अपना भौतिक व आध्यात्मिक विकास स्वयं करने में सक्षम हो, अपने जीवन का उचित मार्ग चुने व राष्ट्र विकास में योगदान करे।
4. **शिक्षा नीति का प्रबंधन शिक्षकों द्वारा** - शिक्षा नीति की क्रियान्वयन प्रक्रिया, प्रबंधन, तथा शिक्षा व्यवस्था का प्रशासन शिक्षाविदों द्वारा ही होना चाहिये। शिक्षकों को व्यवस्था में निहित न्यूनताओं का ज्ञान होता है, शिक्षा के विषय में उनकी अच्छी समझ होती है अत: वे शिक्षक स्वाभाविक सुधार करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके लिये समुचित पद्धति अपनाकर प्रशासक के रूप में किसी शिक्षाविद् का

चुनाव भी हो सकता है। स्वतंत्र नियामक आयोग गठित हो जिसमें शिक्षाविदों की नियुक्ति हो, वे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नीति क्रियान्वयन व प्रबंधन करें।

5. **शिक्षा स्वायत्त हो तथा शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित हो** – शिक्षा नीति में शिक्षा के स्वायत्तीकरण का प्रावधान हो जिससे की जा रही शिक्षा व्यवस्था में अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेप न हों, शिक्षाविद् शिक्षा व्यवस्था में सुधार एवं उत्कृष्ट शिक्षा हेतु स्वयं नियम निर्माण कर सकें तथा उनके पालन की निगरानी भी स्वयं रख सकें।

   स्वायत्तता के साथ शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिये। जिसमें कोई उत्तम पद्धति अपनायी जा सकती है जो विद्यार्थी के सर्वाङ्गीण विकास के मापन पर आधारित हो। इसके आधार पर उत्कृष्ट कार्यपरिणाम वाले शिक्षकों को पदोन्नत एवं पुरस्कृत करने की व्यवस्था हो।

6. **शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोका जाये** – शिक्षा प्रदान करना अधिकतम लाभ कमाने की अवधारणा पर आधारित नहीं होना चाहिये। ऐसी संस्थाओं पर प्रबल नियंत्रण आवश्यक है जो धन कमानें हेतु छात्रों से अत्यधिक शुल्क वसूल करती हैं, ऐसे धार्मिक व नैतिक गुरुओं, समाजसेवियों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं को प्रेरित किया जाना चाहिये जो त्याग की भावना पर आधारित हों।

7. **विद्यमान संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग**– सर्वदा केवल यही माँग नहीं होनी चाहिये कि हमें शिक्षा व्यवस्था हेतु और अधिक संसाधन चाहिये, बल्कि पहले उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम एवं अनुकूलतम उपयोग भी ध्यान में रखना चाहिये। इसमें पुराने भवन का सुरक्षा के साथ अनुकूल उपयोग हो सकता है, शिक्षकों की अतिरिक्त योग्यताओं का महाविद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षण में उपयोग किया जाना चाहिये। क्षेत्रीय आधार पर भी विशिष्टताओं के अनुरूप साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग हो।

8. **शिक्षा का माध्यम मातृभाषा** – शिक्षा विद्यार्थी की मातृभाषा में दिये जाने पर अधिक बोधपूर्ण एवं स्थिर होता है, उसका व्यावहारिक प्रयोग भी उतना ही अच्छा होता है, अत: गंभीर बातों व कौशल को मातृभाषा में ही समझाना चाहिये इससे बालक में पूर्णता आती है।

9. **वैज्ञानिक चिंतन को प्रोत्साहन** – शिक्षा में तार्किक व तथ्यपरक विषयवस्तु का समावेश कर वैज्ञानिक चिंतन व दृष्टि को प्रोत्साहित करना चाहिये, इसके लिये हमारे प्राचीन उत्तम ज्ञान एवं विज्ञान को तार्किक ढंग से व्याख्यायित करते हुये विद्यार्थियों को अपने भारतीय विज्ञान के प्रति उन्मुख बनाना चाहिये।

10. **शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़ा जावे**– प्रारम्भिक शिक्षा के साथ ही उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अपने पारिवारिक हुनर का ज्ञान व समझ विद्यार्थियों में विकसित की जानी चाहिये। साथ ही माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप कौशल शिक्षा प्रायोगिक तौर पर दी जानी चाहिये। तदनन्तर महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में उचित रोजगार के साथ मेल खाती सीटों (विद्यार्थी स्थानों) के अनुरूप प्रवेश होने चाहिये। उच्चस्तर पर क्षेत्रीय परिस्थिति के अनुरूप विद्यार्थी में जो कौशल विकसित हुआ है उसके अनुसार कुछ घंटे कमाने (रोजगार) की भी स्वतंत्रता नियमित अध्ययन के साथ दी जानी चाहिये।

11. **शिक्षा का अर्थ प्रबंधन** – शिक्षा नीति इस प्रकार की हो जिसमें मानव जीवन के उद्देश्यों के अनुसार विद्यार्थी अपना सम्पूर्ण प्रबंधन करना सीखें। इसमें बदलते हुये युग, भारतीयता, जीवनमूल्य, आर्थिक विकास सभी का औचित्यपूर्ण एवं सार्थक प्रबंधन होना चाहिये।
12. **शिक्षा में व्याप्त असमानताओं को दूर करना**– शिक्षा के सभी स्तरों पर महिला एवं पुरुषों का लिंगानुपात उपयुक्त होना चाहिये इसके लिये बालिकाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। गिरिजन–वनवासी महिलाओं के लिये उचित छात्रावासों की व्यवस्था होनी चाहिये। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा में व्याप्त असमानताओं को ग्रामीण शिक्षा सुविधाओं में विस्तार करके दूर किया जावे।

प्राथमिक शिक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण बिन्दु

1. **विद्यालय बालक के घर से निकटतम**– प्राथमिक विद्यालय की स्थापना पर इस बात का ध्यान देना चाहिये कि बालक को शिक्षा घर से निकटतम (अत्यन्त समीप) स्थान पर प्राप्त हो। इसके लिये जनसंख्या के अनुसार अधिकाधिक विद्यालयों की स्थापना के लिये प्रयत्न होना चाहिये।
2. **पाठ्यक्रम भारतीय संस्कृति से ओत–प्रोत**– प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भारतीय संस्कृति से प्रेरित होना चाहिये जिसमें उत्तम संस्कार प्रदान किये जाने की व्यवस्था हो, महापुरुषों की जीवनियों का अध्यापन हो। कहानी एवं लघु कथाओं के आधार पर नीति की शिक्षा का प्रावधान हो। वर्णमाला–बारहखड़ी– पहाड़े आदि भारतीय नामों, महापुरुषों के नामों से सम्बन्धित किये जावें। बालक में उत्तम गुणों का आविर्भाव करने एवं विकास करने पर बल दिया जावे। राष्ट्र प्रेम उत्पन्न करना पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य होना चाहिये।
3. **सरल एवं खेल–खेल में शिक्षा**– प्राथमिक शिक्षा में बालक को अत्यन्त सरल रूप में मनोरंजन एवं खेल विधा द्वारा शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था हो। गणित की कठिनता को खेलपद्धति से दूर किया जा सकता है। शिक्षा का पर्यावरण ऐसी व्यवस्था से चले जिससे छोटे बालक में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास होता रहे, वह शिक्षा से डरे नहीं बल्कि प्रति दिन विद्यालय आने के लिये उल्लासित रहे।
4. **शिक्षा का माध्यम मातृभाषा**– इस स्तर पर शिक्षा का माध्यम पूर्णतः मातृभाषा हो जिसमें बालक का अधिगम सरल बने, साथ ही उसकी अध्ययन में भी रुचि विकसित हो सकेगी।
5. **बालक की आन्तरिक प्रतिभा को पहचानना**– प्राथमिक स्तर पर ही बालक की प्रतिभा को पहचानने की मनोवैज्ञानिक व्यवस्था शिक्षा नीति में होनी चाहिये, जिससे विद्यार्थी की विशिष्टताओं का विकास एवं कमियों का परिष्कार संभव हो सके।

माध्यमिक शिक्षा के विषय में महत्त्वपूर्ण बिन्दु–

1. **कौशल विकास का विषय आवश्यक**– 9वीं–10वीं कक्षाओं से ही कौशल विकास का विषय आवश्यक रूप से सम्मिलित कर लेना चाहिये। प्रारम्भ में विद्यार्थी को उसके पारिवारिक हुनर का प्रायोगिक ज्ञान दिया जावे। बाद में क्रमशः उसकी रुचि, क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं विशिष्टताओं के

आधार पर छोटे-छोटे कौशल को प्रायोगिक रूप से पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया जाना चाहिये। इसके लिये उचित क्षेत्रीय भ्रमण की एवं प्रत्यक्षीकरण की भी व्यवस्था हो। प्रतिदिन कालांश के हिसाब से विद्यार्थी को कौशल विकास हेतु किसी औद्योगिक स्थल पर जाने व सीखने की भी व्यवस्था हो। महाविद्यालय में बढ़ती भीड़ को इसी स्तर पर रोका जाना चाहिये।

2. **विषय चयन की स्वतन्त्रता एवं समग्रता**- इस स्तर पर 11वीं, 12वीं कक्षाओं में बालक को अपनी रुचि के अनुसार विषय चयन की स्वतंत्रता हो साथ ही एक विषय को दूसरे के साथ जोड़कर समग्रता के साथ अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था हो। इसमें विज्ञान के विद्यार्थी को कला के विषयों एवं वाणिज्य के विषयों तथा इसी प्रकार कला एवं वाणिज्य के विद्यार्थियों को विज्ञान के विषय चयन की भी स्वतंत्रता हो।
3. **व्यक्तित्व निर्माण, भारतीयता एवं राष्ट्रप्रेम**- पाठ्यक्रम में विज्ञान विषय बालक में वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करें साथ ही हमारी परम्पराओं, रीति-रिवाज, उत्सवों, मेलों यहाँ के खान-पान, वेश-भूषा, रहन-सहन यहाँ की नदियाँ, पर्वत, पहाड़, तीर्थ इत्यादि में रुचि विकसित करने वाला पाठ्यक्रम तैयार हो। भारतीय शास्त्रों तथा संस्कृत भाषा में अन्तर्निहित ज्ञान-विज्ञान से परिचय एवं रुचि के विकास की व्यवस्था हो। देश रक्षा के लिये प्राण न्योछावर करने वाले राष्ट्रभक्तों, महापुरुषों की जीवनियाँ पाठ्यक्रम का अंग बनकर राष्ट्रप्रेम विकसित करें। लोक संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करने की व्यवस्था हो।
4. **योग शिक्षा एवं श्रम की महत्ता**- स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाय। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में श्रम की महत्ता को समाज सेवा के साथ जोड़कर उचित रूप से लागू करने की व्यवस्था हो। प्रतिदिन विद्यार्थी को विद्यालय के निकट ग्राम में ले जाकर श्रम-दान करने एवं उसके उचित मूल्यांकन की व्यवस्था हो। वैदिक योग, नाड़ी शुद्धि, आसन, प्राणायाम आदि योगङ्गों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जावे।

उच्च शिक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण बिन्दु-

1. **उच्च शिक्षा में प्रवेश के स्थान एवं रोजगार में संतुलन**- उच्च शिक्षा में 12वीं कक्षा के बाद उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिये जो उच्च शिक्षा में रुचि रखते हों और इसके लिये योग्य हों। इसमें अनावश्यक भीड़ को समाप्त करना चाहिये एवं सीटों व रोजगार का संतुलन स्थापित करना चाहिये।
2. **कौशल विकास एवं आजीविका की चिंता**- उच्च शिक्षा में प्रचलित पाठ्यक्रमों का आजीविका एवं उद्योग से सम्बन्ध नहीं होने की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त नवयुवक-नवयुवतियों में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। उच्च शिक्षा में स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, विशिष्टताओं के अनुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने चाहिये ताकि भविष्य में उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके।
3. **नैतिकता, सदाचरण, आध्यात्मिकता, चरित्र निर्माण, भारतीयता व राष्ट्रप्रेम उत्पन्न करने वाली शिक्षा**- उच्च शिक्षा में विद्यार्थी के चरित्र निर्माण, उसके उत्तम आचरण व नैतिक मूल्यों के विकास के साथ भारतीय मूल्य एवं राष्ट्रप्रेम को बढ़ावा देने वाली शिक्षा व्यवस्था आवश्यक है। इसके लिये विद्यार्थी

के आचरण का सतत् निरीक्षण एवं उत्तम व्यक्तित्व व चरित्र के लिये प्रोत्साहन तथा न्यूनता की स्थिति में सुधारात्मक उपाय अपनाया जाना आवश्यक है।

4. **मौलिक शोध को प्रोत्साहन** - उच्च शिक्षा का अर्थ कुछ नवीन ज्ञान-विज्ञान की खोज है। शोध-कार्यक्रम ऐसे हों जिनसे कोई उपलब्धि हो और वह समाज के विकास में काम आये। शोधोपाधि (पीएच.डी.) हेतु शोध के योग्य विद्यार्थियों का ही पंजीयन हो व उन्हें शोध के लिये अत्याधुनिक समुचित सुविधायें प्रदान की जावें। मानविकी विषयों में शोध के शीर्षकों की उत्तम जाँच हो तथा पुनरावृत्ति एवं पिष्टपेषण को रोका जावे। शोधोपरान्त निष्कर्ष समाज के योग्य होने पर उसका एक वैधानिक प्रपत्र तैयार किया जावे जो क्रियान्वयन विभाग को भेजा जावे।

5. **अन्तर्विषयक दृष्टिकोण** - उच्च शिक्षा में ज्ञान की अखण्डता की अवधारणा पूर्ण होनी चाहिये। प्रत्येक विषय एक-दूसरे विषय से अन्तर्सम्बन्धित होता है उसे उसी प्रकार अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिये। इसके लिये कला-वाणिज्य-विज्ञान विषयों को समग्रता के साथ अपनाकर पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है।

6. **शिक्षकों हेतु निरन्तर शैक्षिक एवं शोध कार्यक्रमों का संचालन तथा उनका मूल्यांकन**- उच्च शिक्षा में शिक्षकों को निरन्तर नवीन ज्ञान से सम्पर्क में लाने हेतु कार्यक्रमों का संचालन होना चाहिये। उनमें शोध-दक्षता विकसित करने हेतु कार्यक्रमों का निर्माण हो, तदनन्तर शिक्षकों का सतत् मूल्यांकन हो।

7. **अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सेवा संवर्ग का गठन**- उच्च शिक्षा की उपयुक्त नीति और क्रियान्वयन किसी देश के विकास के लिये अत्यावश्यक है। इसके लिये अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सेवा संवर्ग का गठन हो (I.H.E.S.) जिसके पदों पर योग्यतम पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति हो।

शिक्षा प्रशासन हेतु महत्त्वपूर्ण बिन्दु -

1. **ग्रामीण सेवा के लिये अलग कैडर एवं उचित सुविधायें**- शिक्षा में ग्रामीण सेवा हेतु अलग कैडर होना चाहिये व वहाँ पर नियुक्ति भी निकटस्थ शिक्षक को ही मिले एवं उन्हें रहने व निर्वाह की उचित सुविधायें मिलनी चाहिये।

2. **शिक्षा के कैलेण्डर को उपयोगी बनाना**- शिक्षा व्यवस्था में सभी स्तरों पर शैक्षिक कैलेण्डर को छात्रों के लिये समुचित उपयोगितापूर्ण बनाना चाहिये। ग्रीष्मावकाश व अन्य अवकाशों का अध्ययन की गुणवत्ता एवं कौशल विकास में प्रयोग हो।

3. **शिक्षा नीति का समयबद्ध एवं समुचित क्रियान्वयन** - नीति बनना एवं उसका सही एवं समयबद्ध क्रियान्वयन होना अत्यावश्यक है अत: नीति का समुचित परीक्षण होने के पश्चात् उसके लागू करने में क्या बाधायें है तथा उनको किस प्रकार दूर किया जावे एवं क्रियान्वयन की उचित मोनेटरिंग की जाने की व्यवस्था हो। शिक्षकों के पदों की कमी-पूर्ति की जावे तथा तदर्थवाद को समाप्त किया जावे।

❑❑❑